मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक - 873/1036/2018/सात/6 दिनांक 27/07/2018
30-7-2018

प्रति,

समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषय :- प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को राजस्व दिवस के रूप में आयोजित करने के संबंध में निर्देश।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा राजस्व प्रशासन को स्वच्छ एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एवं राजस्व कार्यो को सुगम एवं त्वरित रूप से करने के लिए प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को **राजस्व दिवस** के रूप में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया है। राजस्व दिवस का उद्देश्य है कि सामान्य प्रक्रिया में निराकृत हो जाने वाले राजस्व प्रकरण एक माह से अधिक अवधि में निराकृत हो जाये एवं यदि लंबित रहते है तब उनकी नियमित समीक्षा हो। राजस्व विभाग से संबंधित कार्यो को समय-सीमा में पूर्ण कर नागरिक सुविधाओं को अधिकाधिक प्रदान किया जाये एवं पीठासीन अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति में संबंधित व्यक्ति की समस्या से अवगत होकर नियमित एवं त्वरित निराकरण कर सके।

विषयांतर्गत कार्यवाही हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते है :-

1. प्रदेश में सभी राजस्व न्यायालय अंतर्गत 01 वर्ष से अधिक लंबित सभी प्रकरणों की सूची तैयार की जाए तथा उक्त मामले की आपसी सहमति से निराकृत होने की संभावना की जांच की जाए। यदि प्रकरण आपसी सहमति से निराकृत योग्य है तो पक्षकार को समक्ष में विधि अनुसार समझाया जा कर निराकरण किया जाए। यदि आपसी सहमति से निराकृत होने की स्थिति नहीं बनती है तो 10 दिवस में तिथि निर्धारित कर गुण दोष के आधारपर निराकृत करने का प्रयास किया जाए। ऐसे प्रकरणों में अनावश्यक प्रक्रियात्मक विलंब न हो यह सुनिश्चित किया जाये। संपूर्ण कार्यवाही का उद्देश्य यह है 01 से अधिक समय के प्रकरण न्यायालय में लंबित न रहे।

2. नामांतरण / बंटवारा / सीमांकन के नवीन मामलों में जो विगत माहों दर्ज हुए हो एवं जिनमें सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन उपरांत पक्षकारों को आहूत किया गया हो एवं संबंधित पटवारी पटवारी अथवा राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन की आवश्यकता है तो प्रवाचक द्वारा उन्हें सूचित कर दिया जाए। आशय यह है संबंधित पटवारी / राजस्व निरीक्षक को जानकारी

विविध-153

—2—

हो उनसे संबंधित कौन-कौन से प्रकरण संबंधित न्यायालय में विचाराधीन है जिससे कि उन्हें समयावधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में सुगमता हो। यदि समयावधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कोई विशेष कठिनाई हो तो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार स्थिति स्पष्ट की जाना आवश्यक होगा। इसी प्रकार अन्य राजस्व मामलों में जिनमें पटवारी / राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन लंबित है की समीक्षा भी राजस्व दिवस पर की जाए जिससे कि समस्त पंजीबद्ध मामलों का त्वरित निराकरण हो सके।

3. जिन राजस्व प्रकरणों में स्थल निरीक्षण आवश्यक है उन प्रकरणों में तिथि निर्धारित कर यथाशीघ्र निरीक्षण किया जाए।

4. प्रत्येक माह के राजस्व दिवस पर 01 माह से अधिक की समयावधि से लंबित प्रत्येक प्रकरण का संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रत्येक पटवारी से राजस्व निरीक्षक के माध्यम से लिया जाए।

5. राजस्व दिवस पर वरिष्ठ न्यायालयों को प्रेषित किये जाने वाले राजस्व प्रकरण एवं प्रतिवेदन की समीक्षा की जाए। विभिन्न व्यवहार न्यायालयों को प्रेषित किये जाने वाले लंबित प्रतिवेदन की समीक्षा भी की जाए।

6. त्वरित निराकरण वाले राजस्व मामलों का निराकरण राजस्व दिवस पर ही किया जाए जैसे कि आदेशों की प्रविष्टि पोर्टल पर करना, खसरा / नक्शा / राजस्व प्रकरण की नकल देना, ऋण पुस्तिका प्रदान की जाना, प्रमाण पत्र बनाया जाना आदि। कार्यालय में उपस्थित हुए प्रत्येक नागरिक को तत्काल सेवा प्रदाय किए जाने सुविधा दी जाए।

7. राजस्व दिवस पर सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा विगत माह में राजस्व प्रकरणों में पारित किए गए सभी आदेशों के अमल की स्थिति की समीक्षा की जाना आवश्यक है जिससे कि आदेश पारित होने के उपरांत आवेदन को असुविधा नहीं हो। इसके अतिरिक्त विगत माह में उपपंजीयकक से प्राप्त भूमि विक्रय की सभी प्रविष्टियों की सूचना पटवारियों को दी जाए एवं विगत माह में जिन प्रविष्टियों की सूचना पटवारियों को दी जा चुकी है उनमें की गई कार्यवाही की समीक्षा की जाए।

8. प्रत्येक राजस्व दिवस पर सभी पीठासीन अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र अंतर्गत CM हेल्पलाईन के पांच प्रकरण जिनमें आवेदक द्वारा असंतुष्टि दर्ज कराई गई है, की व्यक्तिगत सुनवाई करेंगे जिसकी सूचना राजस्व दिवस के पूर्व शुक्रवार को आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्व दिवस पर आवेदक एवं अधीनस्थ अमले को समक्ष में व्यक्तिगत सुनवाई कर इन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इन प्रकरणों को बी-121 मद में दर्ज किया जाए जिससे कि इनकी समीक्षा की जा सके। जिला कलेक्टर अपने विवेकानुसार ऐसे प्रकरणों की सूची जिला स्तर से जारी कर सकेंगे।

9. सभी जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि राजस्व दिवस पर समस्त पीठासीन अधिकारियों एवं अधीनस्थ समस्त राजस्व अमले को अन्य समस्त कार्यों से मुक्त रखा जाए जिससे कि राजस्व दिवस सफलतापूर्वक संचालित हो सके। राजस्व दिवस पर सभी राजस्व निरीक्षक एवं समस्त पटवारी बस्ता सहित तहसील मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे जिससे कि उसी दिवस पर त्वरित निराकरण वाले राजस्व मामलों का निराकरण हो सके।

10. राजस्व दिवस का प्रचार प्रसार समसत पटवारी / ग्राम सचिव / कोटवार आदि मैदानी अमले द्वारा किया जाए। ग्राम पंचायत की बैठकों में राजस्व संबंधी मामलों की जानकारी पर चर्चा सुनिश्चित की जाए एवं प्रगति से राजस्व दिवस पर संबंधित पीठासीन अधिकारी को अवगत कराया जाए। यदि किसी भी नागरिक का कार्य तहसील या अनुविभाग कार्यालय में लंबित हो और इस संबंध में उसे कोई जानकारी या शिकायत करने हो तो वह राजस्व दिवस पर उपस्थित होकर इस संबंध में आवेदनकर सकेगा। उक्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी आवेदक को अनिवार्य रूप से दी जाए।

राजस्व दिवस की प्राथमिकताएं एवं लक्ष्य

1. तहसील / अनुविभाग अंतर्गत विगत माह की राजस्व विभाग संबंधी समस्याओं का निराकरण।
2. निराकरण संभव होने उपरांत भी लंबित रहने वाले प्रकरणों का चिनहांकन।
3. एक माह से अधिक लंबे सामान्य प्रवृत्ति के प्रकरणों का निराकरण।
4. CM हेल्पलाइन में लंबित एवं असंतुष्टि वाले प्रकरणों में शिकायतकर्ता को रिकोर्ड सहित समक्ष में चर्चा कर समाधान करना।
5. राजस्व दिवस पर प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण करना।
6. राजस्व विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देना एवं प्रचार प्रसार करना।
7. राजस्व संबंधी कार्यों में विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता बढ़ाना।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुये राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों को निष्पादित कर नागरिक सुविधाओं को समय-सीमा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये।

(अरूण पांडेय)
प्रमुख सचिव
राजस्व विभाग

पृष्ठा क्र0- 874/1036/2018/सात/6 भोपाल, दिनांक 30/07/2018

प्रतिलिपि-:

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण प्रदेश।मंत्रीगण मध्यमान राज्य /
3. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
4. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त, भूअभिलेख एवं बंदोबस्त-, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
6. संचालक,सूचना एवं प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

(अरूण पाण्डेय)
प्रमुख सचिव
राजस्व विभाग